

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.7036 of 2017

=====

M/s Siti Maurya Cable Net Pvt. Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at J-1/15, Block EP, Sector V, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata-700 091 and having its local corporate office at Marwari Awas Grih Compound, 2nd Floor, Fraser Road, Post Office-GPO, Police Station-Kotwali, Dist.-Patna-800001, through its Director Rajnish Kumar Dixit, son of Raghunath Singh Dixit, resident of F-101, F-Sector, Police Station-Kankarbagh, District-Patna.

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar.
2. The Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna.
3. The Commercial Taxes Officer, Patna West Circle, Patna, Bihar.

... .. Respondent/s

=====

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Parijat Saurav, Advocate
For the Respondent/s : Mr. Ajit Kumar, Advocate

=====

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE MR. JUSTICE PARTHA SARTHY
ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

8 20-07-2023 Learned counsel for the petitioner seeks permission to

withdraw the writ petition.

Permission granted.

Writ petition stands dismissed as withdrawn.

(K. Vinod Chandran, CJ)

(Partha Sarthy, J)

aditya/-

U			
---	--	--	--



पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या **7036/2017**

मेसर्स सिटी मौर्य केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जे-1/15, ब्लॉक ईपी, सेक्टर V, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, कोलकाता-700 091 में है और इसका स्थानीय कॉर्पोरेट कार्यालय मारवाड़ी आवास गृह परिसर, दूसरी मंजिल, फ्रेजर रोड, डाकघर-जीपीओ, पुलिस स्टेशन-कोतवाली, जिला-पटना-800001 में है, अपने निदेशक रजनीश कुमार दीक्षित, रघुनाथ सिंह दीक्षित पुत्र, निवासी एफ-101, एफ-सेक्टर, पुलिस स्टेशन-कंकड़बाग, जिला-पटना के माध्यम से।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य।
2. आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार, पटना।
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी, पटना वेस्ट सर्कल, पटना, बिहार।

..... उत्तरदाता/उत्तरदातागण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री पारिजात सौरव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री अजीत कुमार, अधिवक्ता

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक आदेश

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

8 20-07-2023

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दीवानी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है।

अनुमति दे दी गई है।

रिट याचिका को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।